

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू**

पीठासीन अधिकारी - मुनेश कुमार (आर.ए.ए.ए.)

मु0न0 337/2022 उनवान आबिद सैयद बनाम मोहम्मद अयुब वगै0

आबिद सैयद वादी

बनाम

मोहम्मद अयुब वगैरह ( प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

--: निर्णय :-


दिनांक : 09.01.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 337/2022 उनवान आबिद सैयद बनाम मोहम्मद अयुब वगै0में वाद वादी दिनांक 02.05.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिसाऊ को मोका कमीस्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक नूअ. /2024/369 दिनांक 20.11.2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बिसाऊ के भूमि ख.न. 201/2027 रकबा .10 हैक्टर, ख.न. 202 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.न. 203 रकबा 0.53 हैक्टर, ख.न. 308 रकबा 4.93 हैक्टर, ख.न. 309 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.न. 310 रकबा 0.10 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस
1	अब्दुल रहीम सैयद, आबिद सैयद, रमजान सैयद पिता अब्दुल हकीम सैयद बहिस्सा बराबर सा. देह खातेदार	ग्राम बिसाऊ		
		308/2	0.51	बासनी -1
	योग	किता 01	0.51	-
2	अब्दुल रहीत पुत्र हाजी जोश मोहम्मद हिस्सा 172/535, नगरपालिका बिसाऊ हि. 95/535, नसीम पत्नी इस्माईल हि. 22/535, मोहम्मद अयूब पुत्र हाजी जोश मोहम्मद हि. 246/535 सा. देह खातेदार	201/2027	0.10	बासनी 1
		202	0.10	मे. मु.
		203	0.53	मे.मु.
		308/1	4.42	बासनी 2
		309	0.10	व 3
	310	0.10	बदस्तूर जमाबन्दी	

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमत दस्तन्द किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुनार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को सुते न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (मुनेश कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा  
 जिला झुन्झुनू

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- मुनेश कुमारी  
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन बाबत वंटवारा  
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 337 / 2022 उनवान समीर बनाम सोहनी वगैरे

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बिसाऊ के भूमि ख.न. 201/2027 रकबा .10 हैक्टर, ख.न. 202 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.न. 203 रकबा 0.53 हैक्टर, ख.न. 308 रकबा 4.93 हैक्टर, ख.न. 309 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.न. 310 रकबा 0.10 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	अब्दुल रहीम सैयद, आबिद सैयद, रमजान सैयद पिता अब्दुल हकीम सैयद बहिस्सा बराबर सा. देह खातेदार	ग्राम बिसाऊ		
		308/2	0.51	वारानी -1
		किता 01	0.51	-
2	अब्दुल रहीम पुत्र हाजी जोश मोहम्मद हिस्सा 172/535, नगरपालिका बिसाऊ हि. 95/535, नसीम पत्नी इस्माईल हि. 22/535, मोहम्मद अयूब पुत्र हाजी जोश मोहम्मद हि. 246/535 सा. देह खातेदार	201/2027	0.10	वारानी 1
		202	0.10	गे. मु.
		203	0.53	गै.मु.
		308/1	4.42	वारानी 2
		309	0.10	व 3
310	0.10	बदस्तूर जमावन्दी		

लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया

जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.01.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावा